अनुदान संख्या 13 – औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 13–DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*29,00*	*2,60*	*–26,40*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*26,40*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	383,31,00	383,35,00	309,85,54	–73,49,46
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,83,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
पूरक	Supplementary	20,00,00	20,00,00	19,99,23	–77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2800.00	1.09	. .	–1.09
पु.	R.	–2798.91			
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	20612.00	14258.86	14104.84	–154.02
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–6354.14			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	6146.00			
पू.	S.	2.00	10662.91	10652.54	–10.37
पु.	R.	4514.91			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	5345.00			
पू.	S.	1.00	3036.73	2976.22	–60.51
पु.	R.	–2309.27			

(I) 3851.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3850.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अन्य व्यय - प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण स्कीम"- 1050.00 लाख रु. इस तथ्य के कारण थे कि आम चुनाव की घोषणा को देखते हुए स्कीम को प्रचालित नहीं किया जा सका।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान"- 2800.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए व्यपगत न होने वाले पूल के अंतर्गत उपयोग किए जाने के कारण भी थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक"- 159.23 लाख रु. की बचत (1452.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

(I) Provision of Rs. 3851.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.3850.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "General - Other Expenditure – Technology Upgradation/ Modernisation Scheme" – Rs.1050.00 lakhs - due to the fact that the scheme could not become operational in view of the declaration of general elections.

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for North Eastern Region and Sikkim" – Rs.2800.00 lakhs – due to utilisation of funds by re-appropriation to meet the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region from the concerned functional heads and also utilisation under non-lapsable pool for North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Consumer Industries –Others - Salt" – saving of Rs.159.23 lakhs (against the sanctioned

की तुलना में) रेलवे से स्पष्टीकरण की प्राप्ति लंबित रहने की वजह से गुजरात क्षेत्र में धारंगधारा कुडा रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए रेलवे को भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य''-

(क) ''प्रशुल्क तथा मूल्य विनियमन - प्रशुल्क आयोग''- 141.30 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपदा निदेशालय द्वारा लिए गए इस निर्णय कि अलग-अलग विभागों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संपदा निदेशालय स्वयं इसके लिए व्यवस्था करेगा, की वजह से प्रशुल्क आयोग द्वारा अधिकृत क्षेत्र के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को किराए का भुगतान न किए जाने और वेतन शीर्ष के अंतर्गत मंहगाई भत्ते का अधिमूल्यांकन किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय''-

(i) ''भारत चमड़ा विकास कार्यक्रम''- 2940.62 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आम चुनाव की घोषणा को देखते हुए आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''औद्योगिक समूह स्कीम का उन्नयन''- 2250.00 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3475'' - 'पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का विनियमन - पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक'' के अंतर्गत 2314.51 लाख रु. की बचत (5091.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों के भरे न जाने, पेटेंट कार्यालय में भारत सरकार के मुद्रणालय को बंद किए जाने की वजह से कार्यकलापों में कमी आने और दिल्ली के पेटेंट कार्यालय के लिए पुराने आवास से संबंधित मामले को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

provision of Rs.1452.00 lakhs) was due to non-payment to Railways for conversion of Dharangdhara Kuda Railway line from Meter Gauge to Broad Gauge in Gujarat Region pending receipt of clarifications from Railways.

(B) "General" -

(a) "Tariff and Price Regulation – Tariff Commission" – saving of Rs.141.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-payment of the rent to New Delhi Municipal Council for the area occupied by the Tariff Commission owing to the decision of Directorate of Estates that the individual Department need not make the payment to New Delhi Municipal Council as Directorate of Estates itself will make arrangement for the same and over-estimation of dearness allowance under salary head.

(b) "Other Expenditure" –

(i) "Indian Leather Development Programmes" – saving of Rs.2940.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs in view of the declaration of general elections.

(ii) "Upgradation of Industrial Cluster Scheme" – saving of Rs.2250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme and to make the products globally competitive in the International market.

(III) Under Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Mark - Controller General of Patents, Designs and Trade Marks" - saving of Rs.2314.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5091.00 lakhs) was due to certain posts remaining vacant, reduced activity owing to closure of Government of India Press in the Patent Office and non-finalisation of the matter in respect of old accommodation for Delhi Patent Office.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 117.95 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 22 प्रतिशत थी।

(IV) Under two heads savings of Rs.117.95 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 14 percent and 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4504.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत अगस्त, 2003 और दिसम्बर, 2003 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.4504.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in August, 2003 and December, 2003 under Major Head "2885" - "Development of backward areas - subsidies" - under the following heads:-

(का) ''चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों आदि को आर्थिक सहायता''- 733.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 733.09 लाख रु. था।

(A) "Subsidy to new Industrial Units etc. in selected backward areas" - Rs.733.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.733.09 lakhs.

(खा) ''संवृद्धि केन्द्र''- 3711.00 लाख रु.।

(B) "Growth Centres" - Rs.3711.00 lakhs.

(गा) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक बीमा स्कीम''- 60.00 लाख रु.।

(C) "Comprehensive Insurance Scheme for North East" - Rs.60.00 lakhs.